(15)

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR) RBE. No. 118/
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAY.)
(RAILWAY BOARD)

....

NO.E(NG)I-91/PM9/13 New Delhi, dated 30/12/94

The General Managers(P),
All Indian Railways &
Production Units
(AS PER STANDARD LIST)

Sub:- Amendment to IREM

....

The Ministry of Railways are pleased to direct that the Indian Railway Establishment Manual, Volume I (Revised Edition 1989) may be amended as per Advance Correction Slip No.17, enclosed.

DA/Advance Correction
Slip No.17.

(K.B. LALL)
Director Establishment(N)
Railway Board.

No.E(NG)I-91/PM9/13 New Delhi, dated 30/12/94

Copy to :-

1. The General Secretary, All Indian Railwaymen's Federation, 4, State Entry Road, New Delhi-55 (with 35 spares)
2. The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, 3, Chelmsford Road, New Delhi. (with 35 spares)
3. All Members, Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi.

for Secretary/Railway Board.

Copy to:

PS to CRB, FC, MS, MM, ML, ME, ADV(Staff), DE, EDV, EDPC, ED(A), EDE(N), EDE(Res), EDE(IR), JDPC, JDE(RRB), JDE(R)I, JDE(SCT), JDE(R)II, JDE(D&A), DE(N), DDE(R)I, DDE(R)(Two Spares), DD(Code Revision), DDE(N)I, DDE(N)II, DDE(LR)I & II, AC-II & III, PC-III & IV, E(P&A)I & II, E(NG)II, E(REP)I, II & III, E(SCT)I & II, AC-III (10 Spares), E(G).

ADVANCE CORRECTION SLIP NO.17

The following amendment may be made in para 171(6) of Section 'B' Sub-Section III - Chapter I of Indian Railway Establishment Manual, Volume-I (Revised Edition, 1989):

Para 171: Substitute the following for Item (6):

"The vacancies in the next higher grade of Section Officers (Accounts), Inspector of Stores Accounts (ISA) and Travelling Inspector of Accounts (TIA) in scale Rs. 1640-2900 will be filled by promotion of Appendix 3 qualified Accounts Assistants in scale Rs. 1400-2600 after they have put in a minimum of two years service in the grade (according to the group for which they opt). Whenever such Appendix 3 qualified Accounts Assistant become due for promotion, persons who might have passed in earlier examinations but who did not satisfy the condition of the minimum two years service in the immediate lower grade will also be eligible for promotion (according to the group for which they opt) direct from the grade in which they are working. However, if no junior is eligible for promotion because of non-fulfilment of condition of two years in the immediate lower grade, the seniors will wait for completion of requisite service."

(Authority: Railway Board's letters No. E(NG)I/85/PM1/13 (RRC) dated 13.2.90 and E(NG)I/91/PM9/13 dated 4.12.1992).

आर वी ई सं. 1.18/94

भारत सरकार
रेल मंत्रालय(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(एन जी)1-91/पी एम 9/13 नई दिल्ली, दिनांक 30.12.1994

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी भारतीय रेलें
एवं उत्पादन इकाइयां
(भानक सूची के अनुसार)

विषय:- भारतीय रेल स्थापना नियमावली में संशोधन.

रेल मंत्रालय द्वारा निदेश दिया जाता है कि भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द I (संशोधित संस्करण 1989) को संलग्न, शुद्धि पर्ची सं. 17 के अनुसार संशोधित कर दिया जाए.

संलग्नक: अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 17

(के. बी. लाल)
निदेशक स्थापना (एन)
रेलवे बोर्ड.
नई दिल्ली दि. 30.12.1994

सं. ई(एन जी)1-91/पी एम 9/13

प्रति:-

1. महा सचिव, आल इंडियन रेलवेमेन्स फेडरेशन, 4, स्टेट एंटरी रोड, नई दिल्ली-55 (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. महा सचिव, नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमेन, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली. (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
3. विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य एवं सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद 13-सी फिरोजशाह, नई दिल्ली.

कृते सचिव/ रेलवे बोर्ड.

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. -17

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-I (संशोधित संस्करण, 1989) के पैरा 171(6) खंड (ख) उपखंड -III अध्याय-I में निम्नलिखित संशोधन किया जाए:-

पैरा-171: मद(6) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें:-

" 1640-2900 रू. के वेतनमान के अनुभाग अधिकारी(लेखा) भंडार लेखा निरीक्षक (भं.ले.नि.) एवं चल लेखा निरीक्षक (चलेनि) के अगले उच्चतर ग्रेड में रिक्तियों को 1400-2600 रू. वेतनमान के अपेंडिक्स 3 की अर्हता प्राप्त उन लेखा सहायकों से भरा जाएगा जिन्होंने इस ग्रेड में (उस ग्रुप जिसका उन्होंने चयन किया है, के अनुसार) दो वर्षों की न्यूनतम सेवा कर ली हो, जब भी अपेंडिक्स 3 की अर्हता प्राप्त लेखा सहायक की पदोन्नति होने वाली हो वे कर्मचारी जिन्होंने पहली परीक्षा पास कर ली हो लेकिन आसन्न निम्न ग्रेड की सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम सेवा शर्तों को पूरा नहीं करते वे भी उस ग्रेड, जिसमें वे कार्यरत हैं से सीधे पदोन्नति (उस ग्रुप जिसका वह चयन करते हैं) के हकदार होंगे तथापि, यदि आसन्न निचले ग्रेड के दो वर्ष की सेवा अवधि को पूरा करने वाला कोई कनिष्ठ कर्मचारी पदोन्नति के लिए हकदार नहीं है, तो वरिष्ठ कर्मचारी को अपेक्षित सेवा के पूरा होने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी.

(प्राधिकारी: रेलवे बोर्ड का दिनांक 13.2.90 का पत्र सं. ई(एन जी)1/85/ पी एम 1/13(आर आर सी), दिनांक 4.12.92 का ई(एन जी)1/91/ पी एम 9/13).
